

कार्यालय आख्या

आज दिनांक 19.03.2026 को त्रिसदस्यीय पीठ की पूर्ण उपस्थिति न होने के कारण सुनवाई किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए श्री दीपक शुक्ल के समस्त मामलों में अग्रिम सुनवाई दिनांक 26.05.2026 नियत की जाती है।

आज्ञा से

मा०, राज्य सूचना आयुक्त,

Sheeba Afreen

(श्रीवा अप्पलाल)

पेशकार (त्रिस्तरीय पीठ)